बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 10-6-2016

संख्या–वि.प्रा.(।)स्था०–03/2014/1512/ भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतदद्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के 'अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली, 2015 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **नाम, विस्तार और प्रारंभ ।**– (1) यह नियमावली 'अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक प्रयोगशाला संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2016' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीनस्थ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/संस्थानों तथा राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **'अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली, 2015' के नियम–5 के उप नियम (2) के बाद निम्नलिखित एक नया उप नियम (3) जोड़ा जाएगा:–**

"(3) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में तकनीकी सहायकों के रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा पूर्व में संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत रहे कर्मियों को मात्र कैलेन्डर वर्ष–2015 में नियमित नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचनाओं के विरूद्ध, नियुक्ति में उनके द्वारा किए गए संतोषप्रद सेवा के लिए छः माह के उपर के अवधि को पूर्ण वर्ष मानते हुए प्रत्येक वर्ष के लिए 2 (दो) अंक, अधिकतम 10 अंकों की अधिकतम अधिमानता दी जा सकेगी और अधिमानता को, लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में Over and above जोड़ कर, पूर्णांक 110 मानते हुए, मेधा सूची तैयार करने में जोड़ा जाएगा एवं Over-age होने की स्थिति में अधिकतम उम्र सीमा में, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन अनुबंध पर उनके द्वारा पूर्व में संपादित सेवा की अवधि के समतुल्य छूट दी जा सकेगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० ।–

अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

P.T.O.

SHASHI KUMAR

DT

03.06.2016

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) स्था०–03 / 2014–1512 पटना, दिनांक – 10-6-2016

प्रतिलिपि – महालेखाकार बिहार, पटना / अधीक्षक राजकीय मुद्रणायलय गुलजारबाग पटना–7 / प्रभारी पदाधिकारी ई–गजट वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अगले अंक में प्रकाशनार्थ / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकरी / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / वित्त विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग / सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय / सभी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान / सभी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान / सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, पटना / विभाग के सभी पदाधिकारी / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विभागीय आई0 टी0 मैनेजर (अपलोड करने हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/6/16

अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

SHASHI KUMAR DT 03.06.2016

Govt. of Bihar

Department of Science & Technology

NOTIFICATION

No.Vi Pra (I) Astha- 03/2014/ ________ **Patna, Dated:-__________**

In exercise of powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules for amendments in the Engineering and Polytechnic Laboratory Cadre (Science & Technology Department) Rules 2015:-

1. **Short title extent and commencement-** (1) These rules may be called Engineering and Polytechnic Laboratory Cadre (Department of Science and Technology) Amendment Rules 2016.

(2) It shall extend to whole State of Bihar in all the Government Engineering Colleges/Institutes and Govt. Polytechnics/Govt. Women Polytechnics under the Department of Science and Technology of Govt. of Bihar.

(3) It shall come in to force at once.

2. **The following new sub rule (3) shall be added after sub rule (2) of rule 5 of Engineering and Polytechnic Laboratory Cadre (Department of Science & Technology) Rules 2015:-**

"(3) In the appointment against requisitions sent for regular appointment to the post of Technical Assistants, for the calendar year 2015 only, in Government Engineering Colleges/ Government Polytechnic Institutions and Government Women's Polytechnic Institutions, maximum weightage of 10 (ten) marks (@ 2 marks for satisfactory service of each year treating service of more than six months as a complete year) may be given to such candidates who were appointed on contract basis under Department of Science & Technology and the weightage may be added over and above to their marks obtained in written test, for preparation of merit list, considering full marks as 110 in the event of such candidates being over age, they may be given relaxation in upper age limit equivalent to the period of service rendered by them on contractual basis under the Department of Science & Technology."

By order of the Governor of Bihar

Sd/-

Additional Secretary

Deptt. of Sc. & Tech.

Govt. of Bihar, Patna.

Memo No.Vi Pra (I) Astha- 03/2014/ 1512 **Patna, Dated :-** 10-6-2016

Copy to : Accountant General, Bihar, Patna/Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Bihar, Patna-7/Officer in charge, E-Gazette, Finance Department for information and publish in the forthcoming issue of the Gazette/Principal Secretary, Hon'ble Governor, Bihar, Patna/Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister, Bihar/O.S.D., Chief Secretary, Bihar/Principal Secretary, General Administration Department/Finance Department/Cabinet Secretary/Secretary, Bihar Staff Selection Commission/ All Principal, Govt. Engineering Colleges/Govt. Polytechnic Institutions/ Govt. Women's Polytechnic Institutions/Secretary, State Board of Technical Education, Patna/All Officer, Science & Technology Department/Principal Private Secretary of Principal Secretary/I.T. Manager (For upload), Science & Technology for information and necessary action.

10/6/16

Additional Secretary

Deptt. of Sc. & Tech.

Govt. of Bihar, Patna.

10/6/16

SHASHI KUMAR DT 03.06.2016